बसराम बनाम तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी: रामकरण सिंह, आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं० 344 / 2025

प्रविष्टि दिनांक 10.06.2025

उनवान

1. बसराम पुत्र गंगाबिशन जाति रेगर निवासी ग्राम अगरपुरा तह० तहसील निवाई जिला टोंक

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

अप्रार्थी

उपस्थित श्री रमेश कुमार शर्मा अभिभाषक प्रार्थी
पेरोकार सरकार अप्रार्थी

निर्णय

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने नाम

दिनांक– 13/8/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने नाम प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 27/1 रकबा 0.1898 है0 एवं ख0नं0 28 रकबा 0.1897 है. ख0नं0 41 रकबा 0.1265 है0 ख0नं0 42 रकबा 1.0370 है0 ख0नं0 43 0.7967 है0 वाके ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का संग्रामपुरा, भू0अ0नि0 ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है। जिसमें प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। उपरोक्त वर्णित भूमि में खातेदार का वास्तविक नाम बसराम पुत्र गंगाबिशन जाति रैगर है। जो कि सभी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। किंतु राजस्व कर्मचारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से त्रुटिवश विश्राम पुत्र गंगाबिशन गलत रूप से अंकित हो गया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में बसराम पुत्र गंगाबिशन जाति रैगर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधिसंगत है। राजस्व रिकॉर्ड के अलावा सभी दस्तावेजों में बसराम पुत्र गंगाबिशन जाति रैगर अंकित है। सभी दस्तावेज जैसे आधारकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, जनाधारकार्ड, वोटरआईडी, बैंक पासबुक, पैनकार्ड, स्मार्टकार्ड, पहचानकार्ड एवं सभी दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी अपना नाम बसराम पुत्र गंगाबिशन जाति रैगर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। ताकि प्रार्थी को अनावश्यक असुविधा कारित न हो। उक्तानुसार लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 27/1 रकबा 0.1898 है0 एवं ख0नं0 28 रकबा 0.1897 है. ख0नं0 41 रकबा 0.1265 है0 ख0नं0 42 रकबा 1.0370 है0 ख0नं0 43 0.7967 है0 वाके ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का संग्रामपुरा, भू0अ0नि0 ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में विश्राम पुत्र गंगाबिशन के स्थान पर बसराम पुत्र गंगाबिशन जाति रैगर ग्राम अगरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक दुरूस्त किये जाने हेतु तहसीलदार निवाई को आदेश फरमाने का निवेदन किया।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2071–71, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, की छायाप्रति आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार निवाई एवं पटवार हल्का संग्रामपुरा की मौका रिपोर्ट अनुसार मुताबिक विरासत नामान्तकरण संख्या 177 से गंगाबिशन पुत्र रामदेवा कौम रेगर के फोत होने पर जरिये विरासत से विश्राम पि0 गंगाबिशन खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हुआ, जो कि दिनांक 07.06.96 को ग्राम पंचायत ललवाडी के कोरम में पेश हुआ तथा कॉलम सं0 9 से 13 स्वीकार किया जाकर पटवार रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया। जिसके संबंध में मौके पर उपस्थित से पूछताछ करने पर बताया कि विश्राम पि0 गंगाबिशन व बसराम पुत्र गंगाबिशन एक ही व्यक्ति है।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का एवं पैरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। बहस का अलग से विवेचन नहीं किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

हमने प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। इसके अतिरिक्त पैरोकार सरकार की रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थी का नाम विश्राम पुत्र गंगाबिशन व बसराम पुत्र गंगाबिशन एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। इस प्रकार प्रार्थी व पैरोकार सरकार के द्वारा प्रस्तुत पत्रो के तथ्यो को सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। इसलिए न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः इकबालिया जवाब एवं पेरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने नाम स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

फलतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बावत् दुरूस्त किये जाने नाम बावत भूमि ख0नं0 27/1 रकबा 0.1898 है0 एवं ख0नं0 28 रकबा 0.1897 है. ख0नं0 41 रकवा 0.1265 है0 ख0नं0 42 रकबा 1.0370 है0 ख0नं0 43 0.7967 है0 वाके ग्राम अगरपुरा पटवार हल्का संग्रामपुरा, भू0अ0नि0 ललवाडी तहसील निवाई जिला टोंक, तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट के अलोक मे स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, निवाई को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी का नाम उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में विश्राम पुत्र गंगाबिशन के बजाय बसराम पुत्र गंगाबिशन अमल दरामद कर, पालना से अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 13/8/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी निवाई